

मुख्यालय

पुलिस

महानिदेशक

उत्तर

प्रदेश।

दावर 1/2, चतुर्थ तल, पुलिस मुख्यालय, शहीद पथ, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226002

संख्या: पॉच-111-आर(अपूर्ण अभिलेख) / 2021

दिनांक: अगस्त 31, 2022 NF-284

आदेश

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस को उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति हेतु विचारोपरान्त पाया गया कि वांछित सूचनायें उपलब्ध न होने के कारण उनकी उपयुक्तता के बारे में वस्तुनिष्ठ निर्णय नहीं लिया जा सका है। ऐसे कार्मिकों के लिये रिक्तियाँ सुरक्षित रखते हुये निर्णय स्थगित किया गया है तथा पूर्ण सेवाभिलेख/सूचनायें प्राप्त होने पर इन्हें आगामी विभागीय प्रोन्नति चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत कर उचित निर्णय कराया जाना अपेक्षित है :-

क्र० सं०	पीएनओ	नाम	पिता का नाम	नियुक्ति जनपद	जन्म तिथि	स्थगित किये जाने का कारण
1	862070122	शैलेन्द्र कुमार सिंह	दिवाकर सिंह	औरैया	21.11.1967	मुहर बन्द लिफाफा से सम्बन्धित शासनादेश दिनांक 28-5-1997 में विहित प्रक्रिया के अनुसार मुहर बन्द लिफाफा सही अनावर्त न होने एवं अहकारी सेवा के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट न होने के कारण

2- उपरोक्त उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के सम्बन्ध में पूर्ण सेवाभिलेख/सूचनायें प्राप्त/पूर्ण होने पर उपरोक्त उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के प्रकरण प्राधिकृत बोर्ड (चयन समिति) द्वारा नियमानुसार शीघ्र विचार किया जायेगा एवं उपयुक्त पाये जाने की दशा में इन्हें अपने से कनिष्ठ के पदोन्नति की तिथि से समस्त सेवा का लाभ देय होगा।

3- आदेश की प्रति उ०प्र० की वेबसाइट <http://uppolice.gov.in> पर प्रदर्शित की जा रही है।

नागवेन्द्र प्रताप सिंह
एस०आई० (एम)

31.8.22
(अखिलेश कुमार चौरसिया)
पुलिस अधीक्षक, स्थापना
निमित्त-अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को उपरोक्त के संदर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- अध्यक्ष, उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को उपरोक्त के अनुक्रम में कृपया सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन कानपुर।
- 3- पुलिस महानिरीक्षक, कानपुर परिक्षेत्र कानपुर।
- 4- पुलिस अधीक्षक, औरैया को इस निर्देश के साथ की चयन वर्ष-2015 की रिक्ति के सापेक्ष आरक्षी से मुख्य आरक्षी के पद पर प्रोन्नति से सम्बन्धित सुरक्षित रिक्ति के सापेक्ष मुहर बन्द लिफाफे का नियमानुसार निस्तारण कराते हुये आदेश की प्रति, अद्यावधिक चरित्र पंजिका, स्वघोषणा पत्र एवं निर्धारित बोर्ड प्रपत्र-2 में अपेक्षित सूचनायें दिनांक 10-9-2022 तक प्रत्येक दशा में इस मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- पुलिस अधीक्षक/सहायक निदेशक, उ०प्र० पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र लखनऊ को इस अनुरोध के साथ की वे कृपया प्रश्नगत आदेश को उ०प्र० पुलिस की वेबसाइट पर अपलोड कराने का काष्ट करें।